न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमिलाल यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 79/24 निर्णय दिनांक :– 30/12/24

1. हनुमान मल प्रजापत पुत्र रामू राम जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी आर्य समाज के सामने की गली सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान

..... वादी ...

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2. शाखा प्रबंधक ऑरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस शाखा सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान

... अप्रार्थी .....

राजस्व वाद घोषणात्मक एंव राजस्व अभिलेखों में नाम संशोधन अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम व 136 भू. राजस्व अधिनियम

निर्णय

उपस्थित :–

1. रधुवीर भांभू एडवोकेट वास्ते प्रार्थी
2. पैरोकार राज वास्ते अप्रार्थी संख्या 01

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी हनुमान मल प्रजापत पुत्र रामू राम जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी आर्य समाज के सामने की गली सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान के रोही ग्राम लुहारा में अपने कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का एक खेत खसरा नंबर 512 तादादी 3.3893 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 544 तादादी 2.5293 हैक्टेयर भूमि स्थित है।

वादी खेत खसरा नंबर 512 तादादी 3.3893 हैक्टेयर व खेत खसरा संख्या 544 तादादी 2.5293 हैक्टेयर वाके रोही लुहारा का खातेदार काश्तकार है। वादी के पिता राम लाल का स्वर्गवास होने के पश्चात विरासतन इन्तकाल दर्ज हुआ उस वक्त वादी का घर में बोलने वाले नाम हड़मान पुत्र रामूराम के नाम से इन्तकाल दर्ज हो गया जबकी वादी का अन्य दस्तावेजों वा सरकारी दस्तावेजों में वादी का नाम हनुमान मल प्रजापत पुत्र रामू राम चला आ रहा है वा सही एंव असली नाम ही हनुमान मल प्रजापत पुत्र रामू राम है।

वादी के पिता रामूराम का स्वर्गवास के पश्चात वादगत खेत का विरासत नामान्तरकरण दर्ज करवाते वक्त वादी का असली नाम हनुमान मल प्रजापत के स्थान पर हड़मान अंकित हो गया। जबकि वादी का राजस्थान सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड स. 8364 9179 4733 जारी किया गया जो हनुमान मल प्रजापत पुत्र रामू राम के नाम से है। एंव भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र संख्या JLD/1290147 हनुमान मल पुत्र राम लाल के नाम से जारी किया हुआ है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड में वादी का नाम हनुमान मल नागा पुत्र रामलाल नाम से जारी किया हुआ है। इसलिए घोषित किया जावे कि खेत ख. न. 512 तादादी 3.3893 है. व खेत खसरा संख्या 544 तादादी 2.5293 हैक्टेयर रोही लुहारा की खातेदारी मे हड़मान पुत्र रामूराम दर्ज है जो गलत है। वादी का असली नाम हनुमान मल प्रजापत पुत्र रामू राम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ. जिला चुरू है।

वादी के राजस्व रेकार्ड व सरकारी दस्तावेजों में नाम मिलान नहीं होने व भिन्नता होने के कारण राजस्व से संबंधित मिलने वाले सरकारी फायदों में परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया कि वोह राजस्व रेकार्ड में नाम संशोधन करवाकर अपना नाम मुताबिक सरकारी दस्तावेजात् आधार कार्ड, राशन कार्ड व पहचान पत्र के आधार पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

हनुमान मल प्रजापत पुत्र रामू राम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधन कर वादी का नाम सही किया जावे।

वादगत खेत खसरा न. 512 तादादी 3.3893 है. व खेत खसरा संख्या 544 तादादी 2.5293 हैक्टेयर रोही लुहारा तहसील बीदासर जिला चुरू के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम हनुमान मल पुत्र राम लाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ. जिला चुरू अंकित किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 बैंक है जहां से वादी का ऋण लिया हुआ है। ऋण की भरपायी वादी करेगा वा बैंक ऋण में भी अपना नाम वादी इसी आदेश से अपना नाम सही करवायेगा। प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र पेश किया अप्रार्थीगण को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 02 ता 06 स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर तस्दीक करवाया व प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का समर्थन किया। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। इस प्रकार प्रार्थी कि ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का कोई विरोध व खिलाफ का जवाब पेश नहीं हुआ। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मौखिक बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी खातेदारी के खेत खसरा न. 512 तादादी 3.3893 है. व खेत खसरा संख्या 544 तादादी 2.5293 हैक्टेयर रोही लुहारा में पिता के स्वर्गवास के पश्चात विरासतन नामांतरकरण दर्ज करते समय पटवारी हल्का ने घर पर बोल चाल का नाम हडमान पुत्र राम लाल दर्ज कर दिया जो कि वादी के सरकारी दस्तावेजात् आधार कार्ड, राशन कार्ड व पहचान पत्र के आधार पर हनुमान मल प्रजापत पुत्र रामू राम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान वर्तमान राजस्व रेकार्ड में सुधारकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड शुद्व करते हुए राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई। प्रार्थी वर्तमान राजस्व रेकार्ड में नाम संशोधन करवाकर वर्तमान खेत खसरा न. 512 तादादी 3.3893 हैक्टेयर व खेत खसरा संख्या 544 तादादी 2.5293 हैक्टेयर रोही लुहारा को वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अपना नाम हनुमान मल प्रजापत पुत्र रामू राम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान संशोधन करवाने का प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है जो किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थी हनुमान मल प्रजापत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी खातेदारी भूमि रोही लुहारा के खेत खसरा न. 512 तादादी 3.3893 हैक्टेयर व खेत खसरा संख्या 544 तादादी 2.5293 हैक्टेयर में वादी का नाम मुताबिक अन्य सरकारी दस्तावेजात् के आधार पर हनुमान मल प्रजापत पुत्र रामू राम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान किया जावे। आदेश कि पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को अलग से लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 30/12/24. को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू